मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 10.08.2016

क्र. एफ 16-08/2016/बी-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद लि. द्वारा रू. 500 करोड़ की स्थाई पूंजी निवेश से पीथमपुर, जिला-धार में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण परियोजना में बडी संख्या में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के अवसर, किसानों के हित एवं वृहद निवेश के दृष्टिगत विचारोपरांत निम्नानुसार सुविधाएं दी जावे:-

1. उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत -

(i) **भूमि आवंटन में रियायत-** 40 एकड भूमि प्लाट क्रमांक 804, 806 एवं 807, सेक्टर-3, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, जिला धार का आवंटन रू. 25 लाख प्रति एकड़ (विकास शुल्क सहित) की दर पर 30 वर्ष की लीज पर किया जावे।

(ii) **वेट एवं सीएसटी पर सहायता-** 10 वर्षों हेतु 100 प्रतिशत की दर से प्लान्ट एवं मशीनरी में किये गये पूंजी निवेश की 200 प्रतिशत की सीमा तक शर्तों के अध्याधीन होगी। कुल सहायता इकाई द्वारा जमा किये गये कर से अधिक नहीं होगी ।

(iii) **प्रवेश कर से छूट-** प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 7 वर्षो हेतु छूट दी जाएगी।

(iv) **मण्डी शुल्क से छूट-** संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के अधिकतम 50 प्रतिशत या 5 वर्ष हेतु (इनमें से जो भी कम हो) के लिए मण्डी शुल्क से छूट दी जाएगी।

(v) **विद्युत शुल्क पर छूट-** ऊर्जा विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.03.2014 में प्रावधान अनुसार शर्तों के अध्याधीन होगी।

(vi) उद्योग नीति, 2014 अंतर्गत अन्य सभी सुविधाएं प्रचलित नियमों के अनुसार दी जावे।

2. अन्य सुविधाएं-

(I) **विद्युत टैरिफ में रियायत-** प्रचलित विद्युत टैरिफ में उच्च दाब उपभोक्ताओं को नवीन संयोजन प्राप्त करने पर रू. 1 प्रति यूनिट अथवा 20 प्रतिशत की छूट जो भी कम हो, प्रदान की जावेगी। यह छूट इकाई में उत्पादन/ व्यावसायिक परिचालन की तिथि से 5 वर्ष् तक की अवधि के लिये देय होगी। ऑफ-सीजन में कॉन्ट्रेक्ट डिमांड के 10 प्रतिशत अथवा वास्तविक रिकार्ड की गयी डिमांड में से जो भी अधिक होगा, उसकी बिलिंग सामान्य टैरिफ पर की जावेगी. यह संबंधित श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को देय होगी।

(II) जीएसटी प्रणाली लागू होने पर परियोजना को उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के अंतर्राज्यीय विक्रय पर चुकाये गए स्टेट जीएसटी (जिसमें प्रवेश कर भी शामिल है) के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति (इनपुट क्रेडिक का शुद्ध) इस शर्त पर की जावेगी, कि चुकाई गयी कर राशि वास्तविक रूप से मध्यप्रदेश सरकार के कोष में एकत्रित हुई है। यह भी कि जीएसटी प्रणाली लागू होने पर

स्टेट जीएसटी की प्रतिपूर्ति उस दर पर की जावेगी, जो उस विशिष्ट वस्तु पर वर्तमान प्रचलित मूल्य संवर्धित कर/प्रवेश कर की दरों से अधिक नहीं होगी। यह भी कि सहायता राशि इकाई अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी में किये गये कुल पूंजी निवेश की राशि से अधिक नहीं होगी।

(III) परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 3 वर्ष तक किये गये पूंजी निवेश को सुविधाओं के लाभ हेतु सम्मिलित करने की अनुमति दी जाती है। किन्तु कम्पनी की परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का विशेष पैकेज का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष में परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जावेगा

3. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग
भोपाल, दिनांक 10.08.2016

पृ.क्र. एफ16-08/2016/बी-ग्यारह

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/ऊर्जा विभाग/उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/ किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल।
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
5. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर।
6. कलेक्टर, जिला धार।
7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लि., इंदौर ।
8. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद लि., डी-26, पुष्पांजली बिजवासन, न्यू दिल्ली-I 10061

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग